

कर राजस्व

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2012-2013	संशोधित 2013-2014	(₹ करोड़)
					बजट 2014-2015
कर राजस्व					
1. निगम कर					
1.01 संग्रह	0020	315290.00	376782.00	353899.00	405434.00
1.02 अधिभार	0020	6640.00	30519.00	28312.00	32435.00
1.03 शिक्षा उपकर	0020	10161.00	12219.00	11466.00	13136.00
1.04 विविध प्राप्तियां	0020	24235.00
जोड़-निगम कर		356326.00	419520.00	393677.00	451005.00
2. आय पर कर					
2.01 संग्रह	0021	188686.57	229502.00	224915.00	286222.00
2.02 अधिभार	0021	176.50	4400.00	4400.00	5500.00
2.03 शिक्षा उपकर	0021	5651.00	7017.00	6879.00	8752.00
2.04 विविध प्राप्तियां	0021	1998.00
2.05 बैंक कारोबार कर (बीसीटीटी)	0036	0.01
2.06 प्रतिभूति कारोबार कर	0034	4996.86	6720.00	5497.00	5992.00
2.07 होटल प्राप्तियां कर	0023	0.91
2.08 ब्याज कर	0024	5.95
2.09 अनुषंगी लाभ कर	0026	-44.31
2.10 आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	14.96
जोड़-आय पर कर		201486.45	247639.00	241691.00	306466.00
3. धन कर					
3.01 संपदा शुल्क	0031	0.55
3.02 धन पर कर	0032	844.12	950.00	950.00	950.00
3.03 उपहार कर	0033	0.93
जोड़-धन कर		845.60	950.00	950.00	950.00
4. सीमा शुल्क					
4.01 आयात शुल्क					
4.01.01 बुनियादी शुल्क	0037	46773.31	53850.00	49704.00	57616.00
4.01.02 सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	82242.08	92500.00	86500.00	99475.00
4.01.03 विशेष सीवी ड्यूटी	0037	24700.70	27900.00	25650.00	29498.00
4.01.04 मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	25.93	...	26.00	...
4.01.05 हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	45.78	...	6.00	...
4.01.06 मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क	0037	77.79	...	78.00	...
4.01.07 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	1176.80	1300.00	1300.00	1500.00
4.01.08 शिक्षा उपकर	0037	2623.75	3085.00	2750.00	3163.00
4.01.09 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1348.28	1543.00	1375.00	1581.00
जोड़-आयात शुल्क	0037	159014.42	180178.00	167389.00	192833.00
4.02 निर्यात शुल्क	0037	2814.12	3630.00	2800.00	3250.00
4.03 निर्यात पर उपकर	0037	36.24	44.00	17.00	18.00
4.04 अन्य प्राप्तियां	0037	3481.44	3456.00	4850.00	5213.00
जोड़-सीमा शुल्क		165346.22	187308.00	175056.00	201314.00
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क					
5.01 बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	112399.52	126010.00	111600.00	123950.00
5.02 मोटर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	3819.11	4200.00	4300.00	4700.00
5.03 हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	15513.56	17000.00	15300.00	16700.00
5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	3255.07	3500.00	3350.00	3550.00
5.05 मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	11577.70	13000.00	13150.00	14300.00
	0038	1059.16	1190.00	1025.00	1100.00

		(₹ करोड़)				
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013	बजट 2012-2013	संशोधित 2013-2014	बजट 2014-2015	
5.06	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार					
5.07	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर	0038	4504.28	4990.00	5143.00	
5.07.01	शिक्षा उपकर	0038	2257.94	2495.00	2571.00	
5.07.02	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	17528.06	20015.25	23135.07	
5.07.03	अन्य	0038	3053.19	3536.75	3777.50	
5.07.04	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		27343.47	31037.00	34626.57	
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>						
5.08	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर	0038	556.31	560.00	580.00	
5.08.01	कोयला और कोक	0038	3.49	3.80	3.85	
5.08.02	नमक	0038	126.53	110.00	125.00	
5.08.03	रबड़	0038	2.15	2.34	2.54	
5.08.04	माइका	0038	13.56	14.78	15.65	
5.08.05	लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क	0038	13.05	14.25	14.98	
5.08.06	लाइम स्टोन व डोलोमाइट	0038	1.63	1.78	1.81	
5.08.07	सिने कामगार	0045	226.19	250.00	250.00	
5.08.08	प्रदूषण (वायु एवं जल) निवारण एवं नियंत्रण	0045	-226.19	-250.00	-250.00	
5.08.08.01	घटाइए - व्यय में से प्राप्तियां		
<i>निवल</i>						
5.08.09	अनुसंधान और विकास	0038	685.63	745.00	750.00	
5.08.10	बीड़ी फण्ड	0045	4.07	4.00	4.00	
5.08.11	अन्य लेखाओं के अन्तर्गत उपकर	0038	0.60	1.00	0.60	
5.08.12	कपड़ा तथा कपड़ा मशीनरी पर उपकर संग्रह		1567.02	1616.95	1647.34	
<i>निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>						
			176534.61	197553.95	200585.00	
<i>निवल - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क</i>						
6. सेवा कर		0044	128575.53	174846.00	160127.00	
6.01	संग्रहण	0044	2939.49	3530.00	4184.00	
6.02	शिक्षा उपकर	0044	1085.92	1765.00	2092.00	
6.03	माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर		132600.94	180141.00	215478.00	
<i>जोड़-सेवा कर</i>						
7. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		0040	0.79	
7.01	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0045	
7.02	अन्य कर		0.79	
<i>जोड़-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क</i>						
8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर		0710	...	4.82	6.92	
8.01	भू-राजस्व	0710	...	135.19	135.28	
8.02	स्टाम्प तथा पंजीकरण	0710	...	393.89	421.50	
8.03	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	3093.65	2055.45	2291.38	
8.04	बिक्री कर	0710	...	132.90	160.90	
8.05	वाहनों पर कर	0710	...	6.40	8.40	
8.06	वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर	0710	...	15.27	19.50	
8.07	विद्युत पर कर तथा शुल्क	0710	...	14.21	23.38	
8.08	अन्य कर तथा शुल्क		3093.65	2758.13	3067.26	
<i>जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर</i>						
			1036234.26	1235870.08	1158905.60	
<i>जोड़ - कर राजस्व</i>						
9. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा निधि को अंतरित एनसीसीडी		0037	-1176.80	-1300.00	-1300.00	
9.01	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0038	-3255.07	-3500.00	-3350.00	
9.02	एनसीसीडी संघीय उत्पाद शुल्क		-4431.87	-4800.00	-4650.00	
<i>घटाइए-राष्ट्रीय आपदा निधि को अंतरित एनसीसीडी</i>						
10. घटाएं - राज्यों का हिस्सा		0710	-291546.61	-346991.76	-324313.61	
11. घटाइए - वास्तविक 2010-11 के अनुसार राज्य-अंश समायोजन		0710	6084.02	
कुल जोड़						
			740255.78	884078.32	836026.01	
					986417.31	

1. **निगम कर** : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2013-14 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 393677 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 419520 करोड़ रुपए है। 2014-15 का बजट अनुमान 451005 करोड़ रुपए है।
 2. **आयकर** : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों के भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2013-2014 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 247639 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 241691 करोड़ रुपए है। 2014-15 के लिए बजट अनुमान 306466 करोड़ रुपए है।
 3. **धन कर** : धन कर अधिनियम, 1957 के तहत यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों पर लगाया जाता है। 2013-2014 के लिए धन कर का संशोधित अनुमान, 950 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 950 करोड़ रुपए है। 2014-15 का बजट अनुमान 950 करोड़ रुपए है।
 4. **सीमा शुल्क** : 2013-2014 के लिए सीमा शुल्कों का संशोधित अनुमान, 187308 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 175056 करोड़ रुपए है। 2014-15 का बजट अनुमान 201314 करोड़ रुपए है।
 - 4.01.01 **बुनियादी शुल्क** : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क आयातित माल पर लगाया जाता है।
 - 4.01.02 **सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)** : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर लेवी योग्य उत्पाद शुल्क के समतुल्य लेवी योग्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत सेनबैट दर 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है तथा 17.03.2012 से यह 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है।
 - 4.01.03 **विशेष सीवी शुल्क** : सभी आयातित माल पर राज्य वैट, केन्द्रीय बिक्री कर आदि जैसे घरेलू करों की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुल अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है।
 - 4.01.04 **मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का अतिरिक्त शुल्क** : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। तथापि, आयातों को इस उपकर से छूट है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।
 - 4.01.05 **हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क** : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। तथापि, आयातों को इस उपकर से छूट है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।
 - 4.01.06 **मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क** : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। तथापि, आयातों को इस उपकर से छूट है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
 - 4.01.07 **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क** : वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क आयातित पेट्रोलियम कच्चे तेल पर लगाया जाता था। बाद में, यह कर मोटर कारों, पेट्रोलियम कूड, मोबाइल फोन आदि जैसी कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर भी लगा दिया गया। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क पोलियस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया है और बजट 2008-09 से मोबाइल फोनों पर 1 प्रतिशत की दर से लगा दिया गया है।
 - 4.01.08 **शिक्षा उपकर** : कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।
 - 4.01.09 **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर** : कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उद्ग्रहणीय है।
 - 4.02 **निर्यात शुल्क** : लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है।
- बकाया संग्रहण** : 2013-14 में बकाया सीमा-शुल्कों का संग्रहण 1417.98 करोड़ रुपए रखा। संशोधित अनुमान 2013-14 तथा बजट अनुमान 2014-15 के लिए बकाया सीमा शुल्कों के संग्रहण के लिए क्रमशः 1450 करोड़ तथा 2000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है।
5. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क** : 2013-2014 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान, 197553.95 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 179537.34 करोड़ रुपए है। 2014-15 का बजट अनुमान 200585 करोड़ रुपए है।
 - 5.01 **बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क** : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। 8 प्रतिशत से औसत सेनबैट दर को 27.02.2010 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है।
 - 5.02 **मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क** : मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।
 - 5.03 **हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क** : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत उद्ग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर कहा जाता है।

5.04 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क पान मसाला तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त विधेयक, 2001 के तहत लगाया जाता था। वित्त विधेयक, 2003 में उस लेवी को : (क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, दुपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन पर 1 प्रतिशत की दर से, और (ख) कच्चे पेट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन से लगाया जा रहा है।

5.05 मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : यह वित्त विधेयक, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.06 पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार : सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह नहीं लगाया जाता है।

5.07.01 शिक्षा उपकर : यह कुल उत्पाद शुल्कों के 2 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

5.07.02 माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर : यह कुल उत्पाद शुल्कों के 1 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2012-13 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया संग्रहण 1633.62 करोड़ रुपए रहा। इसके संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2013-14 और बजट अनुमान 2014-15 में क्रमशः 1400 और 2000 करोड़ रुपए का है।

5.07.04 स्वच्छ ऊर्जा उपकर : वित्त विधेयक 2010 की धारा 83 के अन्तर्गत, यह भारत में उत्पादित कोयला, लिग्नाइट तथा पीट पर 50 रुपए प्रतिटन की दर पर लगाया जाता है। यह उपकर 01-07-2010 से प्रभावी है तथा इसे उत्पाद शुल्क के बतौर संग्रहित किया जाएगा।

6. सेवा कर : वर्ष 2013-14 हेतु सेवा कर का संशोधित अनुमान, 180141 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 164927 करोड़ रुपए है। 2014-15 के लिए बजट अनुमान 215478 करोड़ रुपए है। 01.04.2012 से सेवा की दर 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है।

नकारात्मक सूची : 01.07.2012 से सेवाओं के कराधान की एक नकारात्मक एप्रोच लिस्ट शुरू की गई है। इस सूची में निर्दिष्ट सेवाएं टैक्स नेट से बाहर रहेंगी। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) में यथानिहित शक्तियों द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी सेवाएं सेवा कर के दायरे में होंगी अर्थात् उन पर सेवाकर वसूला जाएगा।

6.02 शिक्षा उपकर तथा उच्च शिक्षा उपकर : शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर कुल सेवा कर पर क्रमशः 2% और 1% की दर से वसूल किया जाना है।

बकाया संग्रहण : 2012-13 में सेवाकर बकायों का वास्तविक संग्रहण रु. 964.54 करोड़ था। सेवाकर के लिए संशोधित अनुमान 2013-14 तथा बजट अनुमान 2014-15 क्रमशः 1150 करोड़ तथा 1000 करोड़ रुपए है।

8. संघ राज्य क्षेत्रों के कर : ये कर केन्द्र सरकार के लिए संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संगृहीत किए जाते हैं।

9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में अन्तरित एनसीसीडी : 2013-14 के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष को अन्तरित किए जाने वाले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क की संशोधित अनुमान 4800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 4650 करोड़ रुपए था। 2014-15 के लिए बजट अनुमान 5050 करोड़ रुपए है।

10. राज्यों का हिस्सा : 2013-14 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का संशोधित अनुमान, 324313.61 करोड़ रुपए है। जिसमें से 6084.02 करोड़ रुपए संशोधित अनुमान तथा करों व शुल्कों के वास्तविक संग्रहण के अनुसार 2011-12 के दौरान अधि निर्गमित राशियों 346991.76 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के विरुद्ध समायोजनीय है। 2014-15 का बजट अनुमान 387732.10 करोड़ रुपए है।

कर राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2004 (एफआरबीएम नियम) के नियम 6 के अनुपालन में, कर राजस्व सम्बन्धी प्रकटन विवरण दिखाया गया है परन्तु प्रमुख करों के सम्बन्ध जो अनुबन्ध 11 में दर्शित है, में उसे वसूल नहीं किया गया।